अपील नंबर 67/2022
सनत पटेल विरूद्ध राजकुमार

न्यायालयः– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी एवं श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ, जिला कटनी (म.प्र.)
(समक्ष–नीरज कुमार शर्मा)

(आदेश दिनांक 27.05.2025 की सत्यप्रतिलिपि)

अपीलार्थी द्वारा एजीपी श्री शैलेन्द्र नागोत्रा उपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा अधिवक्ता श्री दीपक तिवारी उपस्थित।

प्रस्तुत अपील के संबधं में सर्वप्रथम उसकी ग्राह्यता पर विचार किया जाना आवश्यक है।

अपील की ग्राह्यता के संबंध में उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वर्तमान अपील खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कटनी के द्वारा 378(1)(क) दप्रसं. के अंतर्गत दांडिक प्रकरण क्रमांक 100541/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दांडिक प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2021 के द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(i) एवं 2(ia)(a)(m) सहपठित धारा 16(1)(a)(i) के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से यह अपील दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और दोषमुक्ति का उक्त आदेश परिवादी खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कटनी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर संस्थित दांडिक प्रकरण में पारित किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 में दोषमुक्ति की दशा में अपील संबंधी प्रावधान किये गये है। धारा 378 की उपधारा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि ''यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किये जाने पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।''

इस प्रकार उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि परिवाद पत्र के आधार पर संस्थित मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय को प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील निरस्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज करते हुए प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/–
(नीरज कुमार शर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी एवं
श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ
जिला कटनी (म.प्र.)

प्रतिलिपिः–

1. आदेश की प्रति मूल अभिलेख के श्रीमती संजू तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ, जिला कटनी म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

(नीरज कुमार शर्मा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी एवं
श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ
जिला कटनी (म.प्र.)